संख्या- 296/2018/जी0आई0-52/71-1-2018-जी-237/2011टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 20 दिसम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर एवं आगरा के उच्चीकरण हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनॉक 18.10.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर एवं आगरा हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य में राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि 12.00 करोड़ के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार रू0 8.80 करोड़ (रू0 आठ करोड़ अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	**मेडिकल कालेज, कानपुर का उच्चीकरण**	**4.74**
2	**मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण**	**4.06**
	योग	**8.80**

1- उक्तानुसार निर्गत की जा रही धनराशि को भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड-28016/176/2018-पीएमएसएसवाई-।।।, दिनॉक 18-10-2018 में उल्लिखित विवरणानुसार मेडिकल कालेजवार संबंधित कार्यदायी संस्था को आवंटित की जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30.03.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20.11.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।

11- प्रस्तावित भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-1005-मेडिकल कालेज, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य-1006-मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2431/दस-2018, दिनॉक 07 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-296/2018/ जी0आई0-52(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर तथा आगरा।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर तथा आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर तथा आगरा।
6- संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा महानिदेशक।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।